

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक—

सं०सं०-०५/स्था०-(D.T.O.)-३०/२०१३(खंड-१) / श्री कुमार विवेक, बि०प०से०,
अपर जिला परिवहन पदाधिकारी सम्प्रति परिवहन विभाग की अधिसूचना सं०-२५६९, दिनांक-
०६.०४.२०२६ द्वारा कार्यकारी व्यवस्था के तहत जिला परिवहन पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर में
अधिसूचित को जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर का प्रभार दिया जाता है।

२. मोटर वाहन अधिनियम, १९८८ तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, १९९४ के
तहत श्री विवेक को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर की शक्तियाँ
प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(इन्दु कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

No - 3808

ज्ञापक:-०५/स्था०-(D.T.O.)-३०/२०१३(खंड-१) /पटना, दिनांक.....१८/०५/२०२६

प्रतिलिपि:-अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (द्वारा संयुक्त सचिव, ई-गजट
कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना) को सी०डी० सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण
अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग,
बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/प्रमंडलीय
आयुक्त, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन
प्राधिकार, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर /माननीय मंत्री, परिवहन
विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग/राज्य परिवहन आयुक्त के
वरीय प्रधान आप्त सचिव/विभाग के सभी पदाधिकारी/श्री कुमार विवेक, जिला परिवहन पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर /मोटरयान निरीक्षक, मुजफ्फरपुर /प्रवर्तन अवर निरीक्षक, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२. श्री तारकेश्वर प्रसाद, वरीय तकनीकी निदेशक, वैज्ञानिक-F, एन०आई०सी० (NIC), बिहार,
पटना से अनुरोध है कि निर्गत अधिसूचना में उल्लेखित श्री कुमार विवेक को जिला परिवहन
पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के कार्य हेतु वाहन/सारथी का User ID/Password निर्गत करने की कृपा की
जाय।


१८/०५/२०२६
सरकार के संयुक्त सचिव